प्रेस विज्ञप्ति
21.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 8(4) के प्रावधानों के तहत 18-19 अप्रैल, 2026 को 9.29 करोड़ रुपये मूल्य की छह अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। ये संपत्तियाँ मुंबई के खारघर और पुणे में स्थित हैं, और सुरेश कुटे, अर्चना कुटे तथा उनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम पर हैं। पीएमएलए के तहत, ईडी ने 24 सितंबर, 2024 को जारी अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 32/2024 के माध्यम से इन संपत्तियों को पहले अस्थायी रूप से कुर्क किया था। बाद में, 3 मार्च, 2025 को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा इस कुर्की की पुष्टि कर दी गई।

यह कुर्की महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। ये एफआईआर सुरेश कुटे और अन्य द्वारा ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी से संबंधित हैं। एफआईआर के अनुसार, सोसाइटी ने 12%-14% का रिटर्न देने वाली कई उच्च-उपज जमा योजनाएं शुरू की थीं, जिन्होंने बड़ी संख्या में निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन जमा राशि का भुगतान न होने या आंशिक भुगतान होने के कारण उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में पता चला कि सोसाइटी के फंड का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2,467 करोड़ रुपये, सुरेश कुटे और श्रीमती अर्चना कुटे के स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनियों के एक समूह (कुटे समूह) को कथित "ऋण" के रूप में हस्तांतरित किया गया था। ये भुगतान उचित दस्तावेज़ीकरण, संपार्श्विक सुरक्षा या अंतिम उपयोग प्रमाणीकरण के बिना किए गए थे, और वैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने के बजाय, धन का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया या गैरसंबंधित व्यावसायिक हितों में निवेश किया गया।

अब तक, ईडी ने इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए हैं और कई अंतरिम कुर्की आदेश भी जारी किए हैं। इस मामले में अब तक जब्त/फ्रीज और कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 1,627.86 करोड़ रुपये है। इससे पहले, ईडी ने सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया था और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई में अभियोजन शिकायत दायर किया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया था। हाल ही में, ईडी ने श्रीमती अर्चना कुटे को भी 02.03.2026 को गिरफ्तार किया था और उन्हें 07.03.2026 को ईडी की हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।

संपत्तियों की सुरक्षा और उनके निपटान, हस्तांतरण या विक्रय को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। संपत्ति पर कब्ज़ा करने का वर्तमान कदम पीएमएलए के प्रावधानों के अनुरूप है और अपराध से प्राप्त संपत्तियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चल रही कार्यवाही का हिस्सा है।